उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

ट्रांसपोर्ट नगर के पीछे, विश्वविद्यालय मार्ग
तीनपानी बाईपास, हल्द्वानी जनपद नैनीताल 263139
Tel: +91-(5946) –286006,286000
Website: http://www.uou.ac.in

Tender Document No-UOU/GM/2023-24/586

Date: 07.02.2023

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के परीक्षा एवं अन्य सामयिक कार्यो के सम्पादन हेतु ठेका गाड़ियों को राज्य परिवहन प्राधिकरण उत्तराखण्ड की दरों पर सूचीबद्ध किए जाने हेतु अल्पकालिक निविदा आमंत्रण

निविदा आमंत्रण सूचना (Empanelment)

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के परीक्षा एवं अन्य सामयिक कार्यो के सम्पादन हेतु ठेका गाड़ियों को राज्य परिवहन प्राधिकरण उत्तराखण्ड की दरों पर सूचीबद्ध किए जाने हेतु निविदा आमंत्रण अर्ह एवं इच्छुक निविदादाता ई–निविदा की विस्तृत जानकारी, निविदा प्रारूप तथा शर्ते वेबसाइट www.uou.ac.in पर देख सकते हैं।

7/2/23

कुलसचिव

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, तीनपानी बाईपास, हल्द्वानी,नैनीताल–263139

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के परीक्षा एवं अन्य सामयिक कार्यो के सम्पादन हेतु ठेका गाड़ियों को राज्य परिवहन प्राधिकरण उत्तराखण्ड की दरों पर सूचीबद्ध किए जाने हेतु निविदा निम्नानुसार आमंत्रित की जाती है:–

क्र0स0	विवरण	दिनांक
1.	वेबसाईट www.uou.ac.in पर निविदा प्रपत्र उपलब्ध होने की तिथि	08.02.2023
2.	निविदा आवेदन पत्र शुल्क रू– 1000.00 (रू0 एक हजार मात्र) उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी कोष में ऑनलाइन जमा किये जाने की अन्तिम तिथि	18.02.2023
3.	निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि एवं समय	18.02.2023, सायं 05:00 बजे
4.	तकनीकी निविदा खोलने की निर्धारित तिथि	20.02.2023, प्रातः 11:00 बजे

निविदा के नियम एवं शर्तें:–

1. उक्त निविदा उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी के अन्तर्गत परीक्षा एवं अन्य सामयिक कार्यो के सम्पादन हेतु ठेका गाड़ियों को राज्य परिवहन प्राधिकरण उत्तराखण्ड द्वारा निर्धारित दरों पर सूचीबद्ध किए जाने हेतु आमंत्रित की गई है। प्रतिभाग करने वाले समस्त निविदादाताओं को उनके द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली तकनीकी निविदा में अर्ह पाए जाने के आधार पर ही सूचीबद्ध किया जाएगा।
2. तकनीकी बिड में वांछित अभिलेखों को क्रमवार संलग्न कर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।
3. यदि किसी कारणवश निविदा खोले जाने के दिवस को अवकाश घोषित होता है, तो उस स्थिति में अगले कार्यदिवस में निविदाए खोली जाएंगी।
4. निविदा में उल्लिखित वाहन की आपूर्ति अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, अतः निविदादाता यह सुनिश्चित कर लें कि उनके पास इस कार्य हेतु पर्याप्त वाहन सामर्थ्य तथा अनुभव है। सूचीबद्ध किए जाने के उपरान्त कार्यादेश दिए जाने पर यदि कार्य करने में असमर्थता व्यक्त की जाती है तो कार्यपूर्ति प्रतिभूति जब्त कर ली जायेगी तथा सम्बन्धित फर्म को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा।
5. निविदा आवश्यक रूप से दिये गये मानकों के अनुसार होनी चाहिए। मानक के अनुरूप न पाए जाने पर निविदा रद्द कर दी जाएगी। अधूरे अथवा अस्पष्ट निविदा को रद्द कर दिया जायेगा।
6. उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताए एक अथवा समस्त प्रस्तावों को स्वीकार/अस्वीकार कर सकता है। साथ ही बिना कोई कारण बताए किसी भी चरण में निविदा प्रक्रिया पर रोक लगाने तथा पुनः नवीन निविदा आमंत्रित करने हेतु विश्वविद्यालय स्वतन्त्र है।

7. निविदादाता की ओर से किसी प्रकार के नियम अथवा शर्त अधिरोपित किया जाना स्वीकार्य नहीं होगा। प्रस्तुत की जाने वाली निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर फर्म की मुहर तथा फर्म के मालिक/साझेदार के हस्ताक्षर अंकित होने अनिवार्य है।

8. निविदा प्रपत्र निविदादाता द्वारा भरे जाने चाहिए एवं प्रत्येक पृष्ठ मोहर सहित हस्ताक्षरित होने चाहिए। तकनीकी निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट समस्त पत्रालेख्य संलग्न किए जाने होंगे। निविदा के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से निविदा संख्या, दिनांक एवं अन्य विवरण लिखा होना चाहिए तथा लिफाफा सील बंद होना अनिवार्य है। निविदा कुलसचिव उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी के नाम सम्बोधित होनी चाहिए तथा लिफाफे पर निविदा आमंत्रण सूचना (NIT) के अनुसार "ठेका गाड़ियों को राज्य परिवहन प्राधिकरण उत्तराखण्ड की दरों पर सूचीबद्ध किए जाने हेतु निविदा" अंकित होना अनिवार्य है।

9. निविदा को पंजीकृत/स्पीड पोस्ट/कोरियर आदि के माध्यम से कुलसचिव उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, यातायात नगर के पीछे, तीन पास बाईपास रोड़, हल्द्वानी (नैनीताल)– 263139 अथवा व्यक्तिगत रूप से पूर्ण भरे निविदा के लिफाफे को विश्वविद्यालय के अनुरक्षण अनुभाग में रखी निविदा पेटी में निविदा की अन्तिम तिथि को सांय 05:00 बजे तक डाला जाएगा।

10. निविदा आवेदन पत्र शुल्क रु0 1000/– (रु0 एक हजार मात्र) उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय निम्नलिखित बैंक एकाउन्ट में ऑनलाईन माध्यम (RTGS/NEFT/IMPS आदि) से जमा कराना होगाः–

1. बैंक का नाम	:	भारतीय स्टेट बैंक
2. शाखा	:	कुसुमखेड़ा हल्द्वानी (नैनीताल)
3. खाताधारक का नाम	:	उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी
4. आई0एफ0एस0सी0	:	SBIN0005100
5. खाता संख्या	:	30617837388

11. ऑनलाईन जमा की गयी धनराशि की प्राप्ति/लेन–देन रसीद (Reciept/Transaction reciept) की प्रति निविदा के साथ संलग्न की जानी अनिवार्य होगी जिसके बाद ही निविदा पर विचार किया जाएगा।

12. निविदादाता के पास वाहन आपूर्ति का कम से कम तीन वर्षो अनुभव होना चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र तकनीकी बिड के साथ अपलोड किया जाना होगा।

13. निविदादाता का वित्तीय वर्ष 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 एवं में प्रत्येक वर्ष में वार्षिक टर्न ओवर रु0 1000000/– (रू0 दस लाख मात्र) से कम नहीं होना चाहिए। वार्षिक आय विवरण/प्रमाण पत्र तकनीकी बिड के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है।

14. फर्म को वित्तीय वर्ष 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 का आयकर रिर्टन की प्रति निविदा के साथ संलग्न करनी होगी।

15. निविदादाता फर्म को इस आशय का शपथ पत्र रू0 10/– के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा कि फर्म को किसी भी शासकीय संस्थान द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है। उक्त शपथ पत्र की मूल प्रति निविदा के साथ संलग्न की जानी अनिवार्य होगी।

16. निविदा की धरोहर राशि के रूप धनराशि रू0 75,000.00 (रू0 पिचहत्तर हजार मात्र) विश्वविद्यालय के उपरोक्त वर्णित खाते में जमा कराए जाने होंगे जिसकी रसीद/विवरण निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

17. निविदादाता को रू0 10/– के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसकी फर्म राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत दरों पर कार्य करने में पूर्णतः सहमत है।

18. निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त सूचीबद्ध फर्मो के साथ धनराशि रू0 100/– के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अनुबंध किया जाएगा जिसका प्रारूप तकनीकी रूप से अर्ह निविदादाताओं (सूचीबद्ध की जाने वाली) को दिया जाएगा।

19. सफल निविदादाता को अनुबन्ध के समय कार्यपूर्ति प्रतिभूति के रूप में रू0 5,00,000.00 (रू0 पांच लाख मात्र) उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में जमा करना होगा। एक से अधिक फर्म सूचीबद्ध किए जाने की दशा में उक्त धनराशि को सूचीबद्ध होने वाली फर्मो की संख्या के अनुसार विभाजित कर लिया जाएगा।

20. निविदा समिति द्वारा प्रथमतः तकनीकी बिड खोली जाएगी। तकनीकी बिड में अर्ह निविदादाताओं को राज्य परिवहन प्राधिकरण उत्तराखण्ड की दरों पर कार्य करने की उनकी सहमति के आधार पर सूचीबद्ध करने की कार्यवाही की जाएगी।

21. यदि तकनीकी बिड का प्रारूप तथा उसके संलग्नक अपूर्ण पाये जाते हैं, तो सम्बन्धित निविदादाता की तकनीकी बिड निरस्त कर दी जायेगी तथा सूचीबद्ध किए जाने हेतु अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

22. निविदा के प्रपत्र स्पष्ट रूप से भरा होना चाहिए, अधूरा प्रपत्र एवं कटिंग (ओवर राइटिंग) वाली निविदा मान्य नहीं होगी।

23. स्रोत पर की जाने वाली वैधानिक कटौतियां देयकों से की जायेगी एवं मांग करने पर कटौती का प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

24. यदि सूचीबद्ध फर्म द्वारा विश्वविद्यालय की अपेक्षानुसार वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो सूचीबद्ध अनुबंध तत्काल निरस्त करते हुए उनके द्वारा जमा की गयी कार्यपूर्ति प्रतिभूति धनराशि जब्त कर ली जाएगी तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही के अन्तर्गत ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा।

25. सामान्य परिस्थितियों में सूचीबद्ध अनुबंध (Empanelment Contract) एक वर्ष हेतु वैद्य रहेगा जिसे पारस्परिक सहमति के आधार पर अधिकतम एक वर्ष हेतु विस्तारित किया जा सकेगा। अनुबंध की अवधि के मध्य यदि राज्य परिवहन प्राधिकरण उत्तराखण्ड द्वारा ठेका गाड़ियों की दरें पुनरीक्षित की जाती है, तो तदनुसार पुनरीक्षित दरें अनुमन्य होंगी।

26. उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि वह बिना किसी कारण बताए किसी एक अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त कर सकता हैं।

27. निविदादाता को कार्यादेश मिलने के उपरान्त सम्बन्धित कार्य को किसी दूसरी फर्म/तृतीय पक्ष को किराए/पट्टे पर देने का अधिकार नहीं होगा। यदि ऐसा पाया जाता है तो निविदा प्रतिभूति/कार्य प्रतिभूति जब्त करते हुए आरोपित फर्म को ब्लैक लिस्टेड करने की कार्यवाही की जायेगी।

28. फर्म के वाहन चालको को पर्वतीय स्थानों में वाहन चालन का अनुभव तथा स्थानों की भौगोलिक जानकारी होनी चाहिए।

29. निविदादाता को रू0 10/— के गैर न्याययिक स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य है कि फर्म के पास स्वयं के स्वामित्व के न्यूनतम 15 छोटे भार मालवाहक वाहन एवं 15 टैक्सी वाहन/समकक्ष या अन्य वाहन अनुबंधित होना अनिवार्य है।

30. आपूर्तिकर्ता वाहनों की भौतिक स्थिति पूर्ण रूपेण परिवहन विभाग के नियमों के अनुरूप होना आवश्यक है।

31. यात्रा के दौरान वाहन में तकनीकी खराबी या किसी अन्य कारण से वाहन में खराबी अथवा दुर्घटना की स्थिति में फर्म को तत्काल दुसरे वाहन की आपूर्ति करनी होगी।

32. वाहन का निर्माण वर्ष 2018 से पूर्व का नहीं होना चाहिए।

33. किसी भी प्रकार की दुर्घटना की क्षतिपूर्ति के लिए विश्वविद्यालय उत्तरदायी नही होगा। निविदादाता फर्म को वाहन, थर्ड पार्टी बीमा इत्यादि पूर्ण एवं अद्यतन रखना होगा।

34. विश्वविद्यालय को निविदा प्रक्रिया को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार होगा।

35. किसी भी विवाद की स्थिति में मा0 कुलपति जी का निर्णय अंतिम होगा तथा सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

36. सम्बधित कार्य के सम्बन्ध में किसी विवाद के लिये न्याययिक क्षेत्र मुख्यालय नैनीताल होगा, अन्य किसी भी न्यायालय में विचारार्थ नहीं होगा।

7/2/23

कुलसचिव

तकनीकी बिड प्रारूप

क्रम	विवरण	विवरण		संलग्नक क्रमांक
1.	निविदादाता का नाम			
2.	निविदादाता की फर्म नाम तथा पता	....		
3.	निविदा आवेदन पत्र शुल्क रु0 1000/– (रु0 एक हजार मात्र) उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय निम्नलिखित बैंक एकाउन्ट में ऑनलाईन माध्यम (RTGS/NEFT/IMPS आदि) से जमा धनराशि का विवरण।	Transaction Number		
		Date of Transaction		
		Amount		
4.	निविदादाता फर्म के पी0ए0एन0 कार्ड की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें			
5.	निविदादाता फर्म के प्राधिकृत सम्पर्ककता के नाम			
6.	निविदादाता फर्म के अधिकृत सम्पर्ककता का फोन/मोबाइल नम्बर			
7.	निविदादाता फर्म का ई–मेल			
8.	निविदादाता फर्म के जी0एस0टी0 पंजीकरण की सम्बन्धी जी0एस0टी0 पंजीकरण की स्वप्रमाणित पंजीकरण की प्रति।			
9.	निविदादाता फर्म को किसी भी शासकीय संस्थान द्वारा ब्लैक लिस्ट न किये जाने सम्बन्धी शपथ पत्र की स्कैन प्रति। (प्रारूप–01)			
10.	निविदादाता फर्म के वार्षिक टर्नओवर सम्बन्धी सी0ए0 के प्रमाण पत्र की स्कैन प्रति अपलोड करें (प्रत्येक वर्ष में रु0 1000000/– से कम नहीं होना चाहिए)	**Financial Year**	**Turn Over**	
		F.Y 2019-20		
		F.Y 2020-21		
		F.Y 2021-22		
11.	निविदादाता फर्म के आयकर रिटर्न जमा करने सम्बन्धी प्रमाण की स्कैन प्रति।	Financial Year 2019-20		
		Financial Year 2020-21		
		Financial Year 2021-22		
12.	उत्तराखण्ड राज्य परिवहन प्राधिकरण उत्तराखण्ड द्वारा अनुमोदित दरों पर कार्य करने में सहमति विषयक शपथ पत्र (प्रारूप 02)			
13.	निविदादाता फर्म द्वारा पूर्व में की गयी आपूर्तियों का अनुभव प्रमाण पत्र स्कैन प्रति अपलोड करें।			
14.	निविदा नियम संख्या 29 में उल्लिखित प्राविधानानुसार पर्याप्त वाहन होने सम्बन्धी शपथ पत्र। (प्रारूप 03)			

हस्ताक्षर निविदादाता मुहर

प्रारूप–01

PROFORMA FOR NON BLACKLISTING AFFIDAVIT

(To be submitted on Rs. 10/- Non Judicial Stamp Paper)

UNDERTAKING

I/We do hereby declare that our firm is not black listed or debarred or prohibited by Government of Uttarakhand /Government of India or any State Government / Board / Universities, since inception of the Firm Company, and no enquiry is pending against my/our firm/company and no criminal case is pending against the firm/company.

I further undertake and understand that if above declaration proves to be wrong/ incorrect or misleading, our tender/ contract stands to be cancelled/ terminated.

Signature of Authorized Person
Name and seal of the firm
Date:
Contact Number.

राज्य परिवहन प्राधिकरण उत्तराखण्ड की दरें स्वीकार किए जाने सम्बन्धी शपथ पत्र

(To be submitted on Rs. 10/- Non Judicial Stamp Paper)

शपथ पत्र

मैं (प्रोपराईटर) मै0...पता...

की ओर से घोषणा करता/करती हूं कि उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी के अन्तर्गत परीक्षा एवं अन्य सामयिक कार्यो के सम्पादन हेतु ठेका गाड़ियों को राज्य परिवहन प्राधिकरण उत्तराखण्ड की दरों पर सूचीबद्ध किए जाने हेतु निविदा में हमारी फर्म राज्य परिवहन प्राधिकरण उत्तराखण्ड द्वारा स्वीकृत दरों पर कार्य करने में सहमत है।

Signature of Authorized Person
Name and seal of the firm
Date:
Contact Number.

निविदा नियम संख्या 29 में उल्लिखित प्राविधानानुसार पर्याप्त वाहन होने सम्बन्धी शपथ पत्र

(To be submitted on Rs. 10/- Non Judicial Stamp Paper)

शपथ पत्र

मैं (प्रोपराईटर) मै0...पता.. की ओर से घोषणा करता/करती हूं कि उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी के अन्तर्गत परीक्षा एवं अन्य सामयिक कार्यो के सम्पादन हेतु ठेका गाड़ियों को राज्य परिवहन प्राधिकरण उत्तराखण्ड की दरों पर सूचीबद्ध किए जाने हेतु आमंत्रित निविदा के नियम संख्या 29 के अनुसार हमारी फर्म के पास स्वयं के स्वामित्व के न्यूनतम 15 छोटे भार मालवाहक वाहन एवं 15 टैक्सी वाहन/समकक्ष या अन्य वाहन अनुबंधित है।

Signature of Authorized Person

Name and seal of the firm

Date:

Contact Number.

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड,
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

संख्या– /एसटीए/दस–82/2022 दिनांक: 15 जुलाई, 2022

—: विज्ञप्ति :—

उत्तराखण्ड शासन, परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या–619/ix/166 /2005 दिनांक 17–01–2005 एवं अधिसूचना संख्या–53/ix-1/166/2004/2019 दिनांक 11–01–2019 के अधीन प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा बैठक दिनांक 13–07–2022 के संकल्प संख्या–07 व अन्य संकल्प संख्या–08 (1) में प्राधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार यात्री किराया की दरों से सम्बन्धित विज्ञप्ति संख्या–565/एस.टी.ए./दस–82/2020 दिनांक 18–02–2020 (जो वर्तमान में लागू है) को, अधिक्रमित करते हुये, मंज़िली गाड़ियों, ठेका गाड़ियों, मालयानों, ई–रिक्शा, मोटर साईकिल किराया योजना के अन्तर्गत संचालित दुपहिया वाहनों, एम्बुलेन्स एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अधीन निर्वाचन कार्यों तथा आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अधीन आपदा एवं अन्य प्रयोजनों हेतु अधिग्रहीत वाहनों का अधिकतम यात्री किराया एवं माल भाड़े की दरें निम्न प्रकार से निर्धारित की गई हैं:—

मंजिली गाड़ियों के लिए किराये की दरें :—

(एक) नगर निगम या नगर पालिका क्षेत्र के बाहर चलायी जाने वाली निजी क्षेत्र एवं परिवहन निगम की मंजिली गाड़ियों हेतु यात्री किराया दरें:—

क्र0 सं0	श्रेणी	निर्धारित दर	
		मैदानी मार्गों हेतु	पर्वतीय मार्गों हेतु
1	2	3	4
(1)	साधारण (Non Deluxe Bus)	128.00 पैसे प्रति किमी0 प्रति यात्री (मूल दर)	183.00 पैसे प्रति किमी0 प्रति यात्री (मूल दर)
(2)	वातानुकूलित सेवा		
	क– (3X2) सीटिंग ले–आउट (A.C. Non Deluxe Bus)	मूल दर का 1.25 गुणा	मूल दर का 1.25 गुणा
	ख–(2X2) सीटिंग ले–आउट (A.C. Deluxe Bus) Integral Coach	मूल दर का 1.90 गुणा	मूल दर का 1.90 गुणा
	ग– Super Luxury Coach with monocoque body	मूल दर का 3.00 गुणा	मूल दर का 3.00 गुणा

***स्पष्टीकरण:–** परिवहन निगम के स्वामित्वाधीन संचालित मंजिली वाहनों पर उक्त दरों के अतिरिक्त कर्मचारी कल्याण अधिभार के रूप में आधारभूत किराए का अधितम 20 प्रतिशत तक पृथक से उदगृहीत किया जा सकेगा।*

(3) चारधाम/हेमकुंड यात्रा हेतु विशेष/अस्थायी परमिट पर संचालित बसों की किराया दरें :—

सीटिंग क्षमता	वाहन की श्रेणी	निर्धारित दर	
		किराया (रू0/प्रति किमी0)	प्रतीक्षा शुल्क (रू0/प्रतिदिन)
1	2	3	4
20 सीट तक		70.00	–
21 से 30 सीट	साधारण	63.00	3500.00
	डीलक्स (पुशबैक2X2)	76.00	5000.00
	वातानुकूलित	89.00	5500.00

1	2	3	4
31 से 45 सीट	साधारण	76.00	5000.00
	डीलक्स (पुश बैक)	83.00	6000.00
	वातानुकूलित	95.00	7000.00

(दो) केवल नगर निगम या नगर पालिका की क्षेत्रीय सीमा के भीतर 30 कि0मी0 से अनधिक यात्रा की दूरी तक चलायी जाने वाली साधारण मंजिली गाड़ियों (ई–बसों को छोड़कर) हेतु अधिकतम यात्री किराया की दरें:–

क्र0सं0	निर्धारित स्लैब	निर्धारित दर (रू0)
1	2	3
1.	प्रथम 02 किमी0 तक	9.00
2.	02 से अधिक किन्तु 06 कि0मी0 तक	12.00
3.	06 से अधिक किन्तु 10 कि0मी0 तक	18.00
4.	10 से अधिक किन्तु 14 कि0मी0 तक	25.00
5.	14 से अधिक किन्तु 19 कि0मी0 तक	30.00
6.	19 से अधिक किन्तु 24 कि0मी0 तक	35.00
7.	24 से अधिक किन्तु 29 कि0मी0 तक	40.00
8.	29 कि0मी0 से अधिक	45.00

ठेका यान के लिए किराये की दरें :–

(एक) ऑटोरिक्शा

मद	निर्धारित दरें
1	2
(1) किराये की दरें	प्रथम 02 कि0मी0 या उसके भाग के लिए रू0 60.00 तत्पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त कि0मी0 या उसके भाग के लिए रू0 18.00
(2) रात्रि किराया	उपरोक्त दर से 50 प्रतिशत अधिक (रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 5.00 बजे तक)

(दो) टैम्पो (चालक को छोडकर 5 से 7 सवारी क्षमता वाले तिपहिया वाहन)

किराये की दरें	प्रथम 2 कि0मी0 या उसके भाग के लिए रू. 50.00 तत्पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त कि0मी0 या उसके भाग के लिए रू0 18.00

(तीन) टैक्सी/मैक्सी कैब

वाहन का प्रकार	निर्धारित दरें				
	वाहन का मूल्य (लाख रू0 में)	मैदानी मार्ग हेतु किराये की दर (रू0 प्रति किमी0)		पर्वतीय मार्ग हेतु किराये की दर (रू0 प्रति किमी0)	
		साधारण सेवा	वातानुकुलित	साधारण सेवा	वातानुकुलित
1	2	3	4	5	6
ऑर्डिनरी	08 लाख से अनाधिक	16.00	18.00	18.00	20.00
डीलक्स	08 लाख से अधिक परन्तु 15 लाख से अनधिक	20.00	22.00	22.00	25.00
लग्जरी	15 लाख से अधिक परन्तु 25 लाख से अनधिक	25.00		27.00	
सुपर लग्जरी	25 लाख से अधिक	35.00		40.00	

प्रतीक्षा भाड़ा		
श्रेणी	प्रथम 02 घण्टे के लिए	02 घण्टे के पश्चात् प्रत्येक घण्टे के लिए
1	2	3
ऑर्डिनरी	50	50
डीलक्स	75	100
लग्जरी	100	150
सुपर लग्जरी	125	200

स्पष्टीकरण–1–80 कि0मी0 से कम संचालन होने पर 80 किमी0 का किराया देय होगा और 80 किमी से अधिक संचालन होने पर प्रति कि0मी0 की दर से किराया देय होगा।

2– 8 घन्टे तक कोई प्रतीक्षा भाड़ा देय नहीं होगा। एक दिवस में 200 कि0मी0 से अधिक संचालन होने पर भी कोई प्रतीक्षा भाड़ा देय नहीं होगा।

3– 80 किमी0 से 200 किमी तक संचालन की स्थिति में 80 किमी का किराया तथा 8घन्टे से अधिक का प्रतीक्षा भाड़ा जोडने अथवा वास्तविक रूप से संचालित कि0मी0 के किराये मे से जो किराया अधिक होगा, वह देय होगा।

(चार) ठेका बस

सीटिंग क्षमता	वाहन की श्रेणी	निर्धारित दरें	
		किराया (रू0/प्रति किमी0)	
		मैदानी मार्ग	पर्वतीय मार्ग
1	2	3	4
20 सीट तक		61.00	67.00
21 से 30 सीट	साधारण	58.00	61.00
	डीलक्स (पुश बैक)	70.00	73.00
	वातानुकूलित	80.00	85.00
31 से अधिक	साधारण	70.00	73.00
	डीलक्स (पुश बैक)	77.00	79.00
	वातानुकूलित	88.00	91.00
प्रतीक्षा भाड़ा	*80 कि0मी0 से कम संचालन होने पर 80 किमी0 का किराया देय होगा और 80 किमी0 से अधिक संचालन पर प्रति किमी0 की दर से किराया देय होगा। 08 घन्टे तक कोई प्रतीक्षा भाड़ा देय नहीं होगा। किन्तु उसके पश्चात् प्रत्येक घन्टे के लिए रू0 200.00 अतिरिक्त देय होगा।*		

(पांच) ई–रिक्शा

श्रेणी	दर (रू0)
ई–रिक्शा	रू0 12.00 प्रत्येक कि0मी0 या उसके भाग के लिए

(छः) मोटर साईकिल योजना 1997 के अन्तर्गत किराये पर संचालित वाहनों हेतु अधिकतम किराये की दरें –

मूल्य के आधार पर वाहनों की श्रेणी	निर्धारित दरें (रू0)		
	पहले 02 घंटे के लिये	2 घंटे के पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त घंटे के लिये	24 घंटे के लिये
1	2	3	4
रू0 01 लाख तक के वाहन हेतु	125.00	75.00	700.00
रू0 01 लाख से अधिक व02 लाख तक के वाहन हेतु	175.00	100.00	800.00
रू0 02 लाख अधिक व 05 लाख तक के वाहन हेतु	250.00	100.00	1000.00
रू0 05 लाख अधिक व 10 लाख तक के वाहन हेतु	325.00	150.00	1500.00
रू0 10 लाख अधिक व 20 लाख तक के वाहन हेतु	800.00	400.00	4000.00
रू0 20 लाख अधिक मूल्य के वाहन हेतु	1000.00	600.00	5000.00
स्पष्टीकरण–किराया इंधन रहित देय होगा।			

(सात) एम्बुलेन्स

अधिकतम निर्धारित दरें रू0 में		
आधार भूत एम्बुलेंस (Non AC) ऑक्सीजन सिलिंडर के साथ	**आधार भूत एम्बुलेंस (AC) ऑक्सीजन सिलिंडर के साथ**	**आई.सी.यू. कार्डियाक एम्बुलेंस**
1	**2**	**3**
(1) किराया– रू0 800.00 15 कि0मी0 की परिधि का एक तरफा छोडने का (अवधि एक घंटा)	किराया– रू0 1200.00 15 कि0मी0 की परिधि का एक तरफा छोडने का (अवधि एक घंटा)	किराया– रू0 3000.00 15 कि0मी0 की परिधि तक रू0 4000.00 नर्सिग स्टाफ के साथ रू0 6000.00 डॉक्टर के साथ
(2) 15 कि0मी0 से अधिक दूरी हेतु रू0 18.00 प्रति कि0मी0 या उसके भाग के लिये	15 कि0मी0 से अधिक दूरी हेतु रू0 20. 00 प्रति कि0मी0 या उसके भाग के लिये	15 कि0मी0 से अधिक दूरी हेतु रू0 45.00 प्रति कि0मी0 या उसके भाग के लिये
01 घंटे के पश्चात रू0 200 प्रति घंटा प्रतीक्षा भाडा।	01 घंटे के पश्चात रू0 250 प्रति घंटा प्रतीक्षा भाडा।	–

(आठ) माल वाहनों के लिए अधिकतम भाड़े की दरें

1– मैदानी मार्ग हेतु	40.00 पैसा प्रति कुन्तल प्रति कि.मी.
2– पर्वतीय मार्ग हेतु	60.00 पैसा प्रति कुन्तल प्रति कि.मी.

स्पष्टीकरण–1–80 कि0मी0 से कम संचालन होने पर 80 किमी0 का किराया देय होगा और 80 किमी से अधिक संचालन होने पर प्रति कि0मी0 की दर से किराया देय होगा।

2– 8 घन्टे तक कोई प्रतिक्षा भाडा देय नहीं होगा। एक दिवस में 200 कि0मी0 से अधिक संचालन होने पर भी कोई प्रतीक्षा भाडा देय नहीं होगा।

3– 80 किमी0 से 200 किमी तक संचालन की स्थिति में 80 किमी का किराया तथा 8घन्टे से अधिक का प्रतीक्षा भाडा जोडने अथवा वास्तविक रूप से संचालित कि0मी0 के किराये मे से जो किराया अधिक होगा, वह देय होगा।

(नौ) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अधीन निर्वाचन कार्यो, आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अधीन आपदा तथा अन्य प्रयोजनों हेतु अधिग्रहीत किये जाने वाले यात्री/भार वाहनों के लिये भाड़े की दरें:–

टैक्सी/मैक्सी/बस

वाहन का प्रकार	वाहन का एक्स शोरूम मूल्य (लाख में)	अधिग्रहण हेतु किराये की दर का आगणन		पूरे दिन के लिये निर्धारित किराये की दरें (रूपये में)
		वाहन की अधिग्रहण अवधि	प्रतीक्षा भाडा (रूपये में)	
1	2	3	4	5
आर्डिनरी कैब	08 लाख से अनधिक	08 घंटे (न्यूनतम 80 किमी)	750	**1430**
डीलक्स कैब	08 लाख से अधिक परन्तु 15 लाख से अनधिक	08 घंटे (न्यूनतम 80 किमी)	1475	**2355**
लक्जरी कैब	15 लाख से अधिक परन्तु 25 लाख से अनधिक	08 घंटे (न्यूनतम 80 किमी)	2200	**3480**
सुपर लक्जरी कैब	25 लाख से अधिक	08 घंटे (न्यूनतम 80 किमी)	2925	**4825**
30 सीट अथवा कम क्षमता वाली बसें	–	08 घंटे (न्यूनतम 80 किमी)	–	**2840**
30 सीट से अधिक क्षमता वाली बसें	–	08 घंटे (न्यूनतम 80 किमी)	–	**3800**
एम्बुलेंस	तालिका में उल्लिखित वाहन के प्रकार की दर के अनुसार			

भार वाहन

वाहन का प्रकार	वाहन का एक्स शोरूम मूल्य (लाख में)	अधिग्रहण हेतु किराये की दर का आगणन		पूरे दिन के लिये निर्धारित किराये की दरें (रूपये में)
		वाहन की अधिग्रहण अवधि	प्रतीक्षा भाडा (रूपये में)	
3000 कि0ग्रा0 तक	पे लोड 20 कुन्तल	न्यूनतम 80 किमी	332	**572**
3000–7500 किग्रा0	पे लोड 40 कुन्तल	न्यूनतम 80 किमी	332	**712**
7500–12000 किग्रा0	पे लोड 60 कुन्तल	न्यूनतम 80 किमी	496	**1216**
12000–16200 किग्रा	पे लोड 80 कुन्तल	न्यूनतम 80 किमी	496	**1616**
16200 कि0ग्रा से अधिक	पे लोड 140 कुन्तल	न्यूनतम 80 किमी	496	**2576**

स्पष्टीकरण

1– ऑटो रिक्शा का तात्पर्य तीन पहिये वाली ऐसी गाड़ी से है जिसमें चालक को छोड़कर 3 से अनधिक सीटें हों।

2– टैम्पो का तात्पर्य तीन पहिये वाली गाड़ी से है, जिसमें चालक को छोड़कर 3 से अधिक परन्तु 6 से अनधिक सीटें हों।

3– ऑर्डिनरी कैब का तात्पर्य चालक सहित 13 सीटिंग क्षमता से अनधिक चार पहिये वाली ऐसी गाड़ी से है, जो भाड़े या पारिश्रमिक पर संचालित होती हो और जिसका मूल्य रू0 8.00 लाख से अनधिक न हो।

4– डीलक्स कैब का तात्पर्य चालक सहित 13 सीटिंग क्षमता से अनधिक चार पहिये वाली ऐसी गाड़ी से है, जो भाड़े या पारिश्रमिक पर संचालित हो और जिसका मूल्य रू0 8.00 लाख से अधिक हो परन्तु रू0 15.00 लाख से अधिक न हो।

5– लग्जरी कैब का तात्पर्य चालक सहित 13 सीटिंग क्षमता से अनधिक चार पहिये वाली ऐसी गाड़ी से है, जो भाड़े या पारिश्रमिक पर संचालित हो और जिसका मूल्य रू0 15.00 लाख से अधिक हो, परन्तु रू0 25.00 लाख से अधिक न हो।

6– सुपर लग्जरी कैब का तात्पर्य चालक सहित 13 सीटिंग क्षमता से अनधिक चार पहिये वाली ऐसी गाड़ी से है, जो भाड़े या पारिश्रमिक पर संचालित हो और जिसका मूल्य रू0 25.00 लाख से अधिक हो।

7– ठेका बस के सम्बन्ध में एक घण्टे का समय वाहन में चढ़ने तथा उतरने के लिए दिया जाएगा और उसे प्रतीक्षा की अवधि में नहीं जोड़ा जाएगा।

8– संगणित यात्री किराये की राशि 1.00 रू0 के गुणांक में निर्धारित की जाएगी और 50 पैसे या कम की राशि को छोड़ दिया जाएगा तथा 50 पैसे से अधिक की राशि को 1.00 रू0 तक पूर्णांकित किया जाएगा।

उदाहरणार्थः–

1.01 रू0 से 1.50 रू0 = 1.00 रू0

1.51 रू0 से 1.99 रू0 = 2.00 रू0

9– यात्री किराए की संगणना करने के प्रयोजन के लिए आधे किलोमीटर (0.5 कि.मी) से कम का भाग यात्री के पक्ष में छोड़ दिया जाएगा तथा आधा कि.मी. से अधिक का भाग एक कि.मी. (1.00 कि.मी.) तक पूर्णांकित किया जाएगा।

10– औसत दैनिक भाड़े की गणना के प्रयोजनार्थ दिनों की संख्या की गणना करने के लिए 24 घण्टे का दिन माना जाएगा और किसी दिन का 8 घण्टे से कम का भाग छोड़ दिया जाएगा।

11– किराये के अतिरिक्त उत्तराखण्ड मोटर कराधान (सुधार) अधिनियम, 2003 के प्राविधानों के अधीन देय मोटरयान कर, अथवा विशेष कर अथवा ग्रीन सैस की वसूली यात्रियों से नहीं की जाएगी।

12– मंजिली गाडियों के स्वामियों द्वारा किसी किराया शुल्क या उगाही, जो यथास्थिति, किसी स्थानीय प्राधिकारी या लोक निर्माण विभाग द्वारा उत्तराखण्ड में मंजिली गाडियों पर लगायी गयी हो, के कारण अतिरिक्त किराया भी यात्रियों से वसूली किया जा सकेगा।

13– सीटों की माप एवं बसों की श्रेणी के अन्तर्गत साधारण (Non Deluxe), सेमी डीलक्स (Semi Deluxe), डीलक्स (Deluxe) एवं सुपर डीलक्स (Super Luxery Coach with Monocoque Body) का अभिप्राय AIS 052 में निर्धारित मानकों से है।

14– पर्वतीय मार्गों का तात्पर्य पिथौरागढ़, चम्पावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, रूद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी और टिहरी गढ़वाल जिले, देहरादून जिले की चकराता तहसील, नैनीताल, चम्पावत

और पौडी गढवाल जिलों के उन भागों, जो पूर्व में टनकपुर से होकर पश्चिम में काठगोदाम, रामनगर, कोटद्वार से लक्ष्मणझूला तक तलहटी के आधार पर उत्तर की ओर पड़ता है और देहरादून शहर नगर निगम सीमा से आगे मसूरी की ओर की सभी सड़कों से है।

(संनत कुमार सिंह)
सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड।

संख्या-2744(1)/समदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– आयुक्त गढ़वाल मण्डल एवं कुमायूँ मण्डल।
3– उप निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय रूड़की, जिला हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उपरोक्त विज्ञप्ति को सरकारी गजट में प्रकाशित कर इसकी दो सौ प्रतियॉ इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
6– समस्त सम्भागीय/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7– मुख्यालय के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
8– गार्ड फाइल/सूचना पट्ट।

(संनत कुमार सिंह)
सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड।